माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 411/2002

अपीलकर्ता: केवलराम, पुत्र भगोली साहू, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी अरमारी खुर्द, थाना: रनचिरई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ.ग.)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति सी.बी.बाजपेयी

दाण्डिक अपील क्रमांक 411/2002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता: केवलराम, पुत्र भगोली साहू, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी अरमारी खुर्द, थाना: रनचिरई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील।

उपस्थिति:

अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री एच.एस.पटेल।

राज्य के लिए उप शासकीय अधिवक्ता श्री अजय द्विवेदी।

निर्णय

(17 जून, 2014)

1. इस अपील में विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 74/2000 में दिनांक 27-03-2002 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश निर्णय को

चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को गृह अतिचार करने और अभियोक्त्री (नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, अ.सा.-2) पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए के लिए दोषी ठहराते हुए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भादवि') की धाराओं 451 और 354 के तहत दोषसिद्ध किया और उसे छह महीने के सश्रम कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के, अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया और दण्डित किया और इस तरह अवैधानिक कृत्य किया है।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, 29-05-1992 को लगभग 11 बजे, लगभग 6 वर्ष की अभियोक्त्री घर में मौजूद थी और कुछ घरेलू कार्य कर रही थी। इसी बीच, अपीलार्थी आया और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर के पीछे बरामदे (कोठा) में ले गया और नग्न हो गया और उसने अपना लिंग अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के हाथ में दे दिया, उसने विरोध किया और भागने की कोशिश की, फिर से उसने उसे पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारने लगा, उसने अपने भाई को आवाज लगाई, उसका भाई यशवंत कुमार (अ.सा.-5) घर से घटनास्थल पर आया। जब अपीलार्थी ने यशवंत कुमार (अ.सा.-5) को आते देखा, तो वह मौके से भाग गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने घटना के बारे में अपने भाई को बताया। जब साधुराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री का पिता) लगभग 1.00 बजे दूसरे गांव से घर लौटा, तो अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई (अ.सा.-2) ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई। चूंकि साधूराम (अ.सा.-1) बीमार था, इसलिए उसने 2 दिन बाद थाना, रंचिरै में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी ने प्रदर्श-पी/1 में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा। डॉ. छाया तिवारी (अ.सा.-3) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) का परीक्षण प्रदर्श पी/3 के तहत किया। विवेचना अधिकारी ने प्रदर्श पी/2 के तहत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। डॉ. छाया तिवारी (अ.सा.-3) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के जननांग के बाल युक्त सीलबंद पैकेट भेजा, जिसे प्रदर्श पी/4 के तहत जब्त कर लिया गया। अपीलकर्ता को प्रदर्श पी/6 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे चिकित्सकीय साक्ष्य के लिए भेजा गया। डॉ. पी. सदानी (अ.सा.-10) ने अपीलकर्ता की जांच की और उसे संभोग करने में सक्षम पाया तथा एक्स.पी/5 के तहत अपनी रिपोर्ट दी।

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भादवि की धारा 376, 450, 511 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में अधिनियम, 1989) की धारा 3(1)(11) के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को अधिनियम, 1989 के तहत विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को उपार्पित किया, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मामले को उपार्पण पर प्राप्त किया और मामले का संचालन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया। आरोपी का परीक्षण संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोषता और संबंधित अपराध में झूठे आरोप लगाने का अभिवचन किया।

6. पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 और 354 के तहत दोषसिद्ध किया और उपरोक्तानुसार दंडित किया।

7. मैंने पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि घटना 29-05-1992 को हुई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 31-05-1992 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दो दिन का विलम्ब हुआ है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2), साधुराम (अ.सा.-1) तथा यशवंत कुमार (अ.सा.-5) निकट संबंधी हैं, वे हितबद्ध साक्षी हैं। गोवर्धनलाल

(अ.सा.-6) तथा अर्जुन (अ.सा.-7) ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया था तथा अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था तथा अभियोजन ने इन दोनों साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया था। अभियोजन की कहानी सत्य नहीं है। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया था। अभियोजन पक्ष की कहानी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है क्योंकि डॉ. छाया तिवारी (अ.सा.-3) ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/3) में कोई भी बाहा या आतंरिक चोट को नहीं देखा। अपीलकर्ता की डॉ. पी.सदानी (अ.सा.-10) द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसे संभोग करने में सक्षम पाया गया, लेकिन चूंकि इस मामले में भादवि की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इसलिए, उसकी चिकित्सा जांच का कोई महत्व नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह एक मनगढ़ंत मामला है, गांव में पार्टीबंदी है क्योंकि अपीलकर्ता अलग पार्टी से है, उसे अभियोक्त्री (अ.सा.-2), उसके पिता (अ.सा.-1) और उसके भाई (अ.सा.-5) द्वारा झूठा फंसाया गया है। घटनास्थल गांव के अंदर है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले का समर्थन करने के लिए किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। यह असंभव होगा कि किसी ने घटना को सुना या देखा नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) के अवलोकन से पता चलता है कि यह अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने के लिए लिखी गई है। घटनास्थल थाना रांचीराय से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। साधूराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री के पिता) यह साबित नहीं कर पाए कि वे बीमार थे, इसलिए देरी घातक है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री(अ.सा.-2) पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, उसने दंड के हिस्से के 22 दिवस को भुगत लिया है, विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 14 में जिसे मुजरा करने का आदेश दिया गया था, अपीलकर्ता ने संपूर्ण राशि का संदाय कर दिया है, घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 28 वर्ष थी, घटना लगभग 22 वर्ष पुरानी है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपील स्वीकार की जा सकती है और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जा सकता है।

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील और अपीलकर्ता की ओर से पेश तर्क का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी / 3) के अनुसार, अभियोक्त्री (अ.सा. -2) 6 वर्ष की थी और घटना के समय वह अप्राप्तवय थी, घटना के बाद का हिस्सा उसके उसके भाई यशवंत कुमार (अ.सा.-5) ने देखा क्योंकि उसने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) की आवाज़ सुनी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) के अनुसार, यशवंत कुमार (अ.सा.-5) घटना के समय मात्र 13 वर्ष का था, वह घर के अंदर था लेकिन उसने अभियोक्त्री की कहानी का समर्थन किया। वह एक स्वाभाविक साक्षी है, उसकी उपस्थिति संदेह से परे थी। अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.-1), भाई (अ.सा.-5) और अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के प्रतिपरीक्षण के दौरान विगत शत्रुता या पार्टी-बंदी के बारे में कुछ भी सुझाया नहीं गया है। अपीलकर्ता द्वारा किसी बचाव पक्ष के साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) और उसके परिवार के सदस्य अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए क्यों तत्पर हैं? उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है, इसलिए अपील खारिज की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकार की ओर से पेश तर्कों की विवेचना हेतु, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना की है।

11. घटना दिनांक 29-05-1992 को लगभग 11:00 बजे प्रातः घटित हुई, तथा रिपोर्ट साधूराम (अ.सा.-1) द्वारा दो दिन पश्चात् दर्ज कराई गई। साधूराम (अ.सा-1) ने पैरा 3 में यह कथन किया कि वह बीमार था, इसलिए उसने दो दिन पश्चात् रिपोर्ट दर्ज कराई, यही तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/1) में भी लिखा गया है, साधूराम (अ.सा-1) को यह सुझाव दिया गया था कि वह बीमार नहीं था, इसके अतिरिक्त, वह एक और परिस्थिति का दावा करता है कि समझौता करने के लिए अपीलकर्ता का भाई अपने बहनोई के साथ आया था। साधूराम (अ.सा-1) के अनुसार, वह तथा अभियोक्त्री (अ.सा-2) की मां अपने

काम से घर से बाहर गए हुए थे। वह लगभग 1:00 बजे अपने घर वापस लौटा। घटना के समय दो अप्राप्तवय भाई तथा अभियोक्त्री (अ.सा-2) घर में थे। विगत शत्रुता के लिए पर्याप्त तथ्य सुझाए गए, बचाव पक्ष की ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया था. पर्याप्त तथ्य सुझाए जाने के बावजूद अपीलकर्ता की ओर से बचाव पक्ष के किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। अपीलकर्ता ने धारा 313 के तहत प्रश्न संख्या 28 का उत्तर देते हुए कहा कि साक्षी शत्रुता और पार्टीबंदी के कारणवश मिथ्याकथन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि शत्रुता या पार्टीबंदी थी, साधुराम (अ.सा.-1) के पास अपीलकर्ता से हिसाब चुकता करने के कई तरीके हैं, साधुराम (अ.सा.-1) अपनी 6 वर्ष की बेटी को क्यों चुनेगा और झूठी प्राथमिकी दर्ज कराएगा। मेरा मानना है कि शत्रुता या पार्टीबंदी के तथ्य के बारे में अपीलकर्ता की ओर से किसी भी ठोस सुझाव या सबूत के अभाव में, झूठे निहितार्थ सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि साधुराम (अ.सा.-1) बीमार था, साथ ही अपीलकर्ता के निकट संबंधियों की ओर से समझौते के बारे में बातचीत भी हुई थी, इसलिए प्राथमिकी (एक्स.-पी/1) दो दिन बाद दर्ज कराई गई। कुल मिलाकर अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई घातक प्रभाव पड़ना। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) को पकड़ लिया और उसे घर के पीछे स्थित बरामदे (कोठे) की ओर ले गया और उसने अपना लिंग अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के हाथों में दे दिया, तब उसने विरोध किया और बरामदे (कोठे) से बाहर आ रही थी, फिर से अपीलकर्ता ने उसे पकड़ लिया और उसे लेटा दिया और अपने कपड़े उतारने लगा, उसने अपने भाई यशवंत कुमार (अ.सा.-5) को आवाज लगाई, यशवंत कुमार (अ.सा.-5) घर से आया और उसने अपीलकर्ता को बिना कपड़ों के देखा, उसके बाद, अपीलकर्ता ने तौलिया लपेटा और उसे धमकाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद, साधुराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री का पिता) आया, फिर अभियोक्त्री (अ.सा.-2) अभियोक्त्री (अ.सा.-2) की आयु केवल 6 वर्ष थी, घटना के समय परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य उपलब्ध नहीं था और अपीलकर्ता की आयु लगभग 28 वर्ष थी, वह पीड़ित पर बल प्रयोग करने और उसे नियंत्रित करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की स्थिति में था। चूँकि वह उसी गाँव का था अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.-5) बरामदे (कोठे) में उपस्थित हुए, तो उन्हें धमकी देने के बाद ही अपीलकर्ता वहां से चला गया। मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई भौतिक लोप या विरोधाभास नहीं है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) और उसके भाई (अ.सा.-5) की उपस्थिति स्वाभाविक है। साधुराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री के पिता), अभियोक्त्री (अ.सा.-2) और यशवंत कुमार (अ.सा.-5, अभियोक्त्री के भाई) से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु उस प्रतिपरीक्षण में कुछ भी ठोस नहीं निकला, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी को अविश्वसनीय किया जा सके। मेरा मानना है कि यशवंत कुमार (अ.सा.-5, अभियोक्त्री के भाई) और साधुराम (अ.सा.-1, अभियोक्त्री के पिता) का कथन विश्वसनीय है और अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के तर्क का समर्थन करता है।

12. जहां तक अभियोक्त्री (अ.सा.-2) और अपीलकर्ता के चिकित्सकीय साक्ष्य या परीक्षण का प्रश्न है, यह धारा 376 या उसके प्रयास का मामला नहीं है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को हल्की धारा यानी धारा 354 के तहत दोषसिद्ध किया जबकि अपीलकर्ता पर बड़े अपराध यानी धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही अभियोक्त्री (अ.सा.-2) या अपीलकर्ता के शरीर पर किसी भी चोट का न होना इस मामले के तथ्यों से कोई सुसंगतता नहीं रखता। चूंकि यशवंत कुमार (अ.सा.-5) ने भी अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के तर्क का समर्थन और पुष्टि की, इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि वह वास्तविक चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन उसने अपीलकर्ता को अपने घर के कोठे में मौजूद देखा था। अभियोक्त्री (अ.सा.-2) बिना कपड़ों के थी और यह साक्षी (अ.सा.-5) अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के बुलाने पर बरामदा (कोठा) पर पहुंचा, इसलिए इस साक्षी ने घटना के बाद का हिस्सा देखा क्योंकि वह अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के कथन का समर्थन करता है। मुझे लगता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-2), उसके भाई यशवंत कुमार (अ.सा.-5) और उसके पिता साधुराम (अ.सा.-1) द्वारा झूठे आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। अभियोक्त्री (अ.सा.-2), उसके भाई यशवंत कुमार (अ.सा.-5) और उसके पिता साधुराम (अ.सा.-1) का साक्ष्य विश्वसनीय है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और विश्वास को प्रेरित करता है जो यह मानने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के घर में आया, उसे पकड़ लिया और घर के पीछे यानी कोठे में ले गया और अभियोक्त्री (पी-2) के हाथों में अपना लिंग रख दिया, जिसका उसने विरोध किया और आवाज लगाई, इसके अलावा अपीलकर्ता ने उसे लेटा दिया और अपने कपड़े उतार रहा था, अपीलकर्ता को बिना कपड़ों के देखा गया था और अपने कपड़े उतार रहा था, अपीलकर्ता को यशवंत कुमार (अ.सा.-5) ने बिना कपड़ों के देखा। मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना करने के बाद, पक्षों की ओर से दिए गए साक्ष्य की विस्तृत विवेचना के बाद विचारण न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता भादवि की धाराओं 451 और 354 के तहत दोषी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उस अपराध के दो मामलों में कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। मेरा मानना है कि भादवि की धाराओं 451 और 354 के तहत अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने में विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं की है। इसके साथ ही मेरा मानना है कि अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने का के निर्णय में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मुझे दोषसिद्धि के निर्णय में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं लगती। इसलिए, अपीलकर्ता को भादवि की धारा 451 और 354 के तहत दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहां तक दंड की मात्रा और अन्य तथ्यों का प्रश्न है, अपीलकर्ता को धारा 354 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 451 के तहत 6 मास के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है, साथ ही जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। घटना करीब 22 वर्ष पुरानी है, इस अवधि के बीच राज्य द्वारा कोई अन्य आपराधिक गतिविधि नहीं देखी गई, अभियोग पत्र में घटना की रिपोर्ट किए जाने से पहले कोई आपराधिक अतीत नहीं था, इसका अर्थ है कि अपीलकर्ता इस अपराध के समय प्रथम अपराधी था और उसके बाद भी वह किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं था, वह पिछले 22 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहा है और मुकदमा लड़ रहा है, अगर मैं इस पर विचार करता हूं। अगर मैं घटना के तथ्यों और अन्य परिस्थितियों पर विचार करता हूं, तो ऐसा प्रतीत

होता है कि अवैध वासना के साथ अपीलकर्ता ने यह कृत्य किया, वह आगे बढ़ने या अलग तरीके से कार्य करने या हिंसक प्रतिक्रिया करने की स्थिति में था क्योंकि यशवंत कुमार (अ.सा.-5) की आयु लगभग 13 वर्ष थी, यह अपीलकर्ता के समग्र कृत्य को दर्शाता है, अपीलकर्ता ने संपूर्ण जुर्माना राशि जमा कर दी और वह 22 दिनों तक जेल में रहा, जिसके लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अवधि का मुजरा किये जाने का आदेश प्रदान किया था, मेरा विचार है कि घटना के अवधि को देखते हुए, कोई आपराधिक अतीत नहीं है और घटना के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना प्रदर्शित होता है, अपीलकर्ता को 22 वर्ष पश्चात शेष दंड भुगताये जाने हेतु वापस जेल भेजना कठोर होगा, यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा किया गया कृत्य अप्राकृतिक और अपराध है, फिर भी मेरा मानना है कि उसे एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपना शेष जीवन समाज में विधि का पालन करने वाले लोगों के रूप में व्यतीत कर सके अपीलकर्ता को उसके द्वारा पूर्व से भुगती गई अवधि से दण्डित करने तथा जुर्माने की राशि में वृद्धि से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भादवि की धारा 451 और 354 के तहत अपीलकर्ता के दंड को यथावत रखा जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता को दी गई जेल के दंड को संशोधित किया जाता है, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सश्रम कारावास के दंड के स्थान पर, अपीलकर्ता को उसके द्वारा पूर्व से भुगती गई अवधि से दण्डित किया जाता है। दोनों मामलों में, पूर्व से भुगती गई से दण्डित किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए 1000/- और 1000/- रुपये के जुर्माने की राशि को संशोधित किया जाता है और दोनों मामलों में अपीलकर्ता को 5000/- और 5000/- रुपये के जुर्माने का संदाय करने का आदेश दिया जाता है। दोनों मामलों में, विचारण न्यायालय के निर्णय के लिए पहले से जमा की गई राशि को समायोजित किया जाएगा और शेष जुर्माना राशि आज से तीन महीने के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर अपीलकर्ता को भादवि की धारा 354 के तहत तीन महीने और भादवि की धारा 451 के तहत तीन महीने का सश्रम कारावास भुगतना

होगा। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर है। आज से 6 महीने की अवधि के लिए संहिता की धारा 437-अ की आवश्यकता के अनुसार उसके जमानत पत्र छह मास की अवधि के लिए प्रवर्तनशील रहेंगे।

सही/-
(सी.बी. बाजपेयी)
न्यायमूर्ति

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur